



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112020-223261
CG-DL-E-23112020-223261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3678]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/ अग्रहायण 2, 1942

No. 3678]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4180(अ).—यतः, केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल 2002 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के (लखनादौन से सिवनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) का 400.544 किमी. से 651.500 किमी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के डिज़ाइन कि.मी. 624.480 से कि.मी. 653.770 (विद्यमान किमी 624.480 से कि.मी. 653.225 तक) मोहगांव से खवासा, मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड के चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 26.075 कि.मी. और 32.15 किमी (3.215 किमी लंबाई) की समकक्ष संरचना लंबाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में खवासा गांव के निकट रारा-7 (नया रारा-44) के 651.750 किमी पर	26.075 [10 करोड से अधिक की लागत के बाइपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेया होगा :

सारणी – 3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई* (कि.मी. में) में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि. मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में खवासा गांव के निकट रारा-7 (नया रारा-44) के 651.750 किमी पर	3.215	32.150	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	चैनेज (किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1.	626.665	627.165	पशु अंडरपास	0.500
2.	630.027	631.427	पशु अंडरपास	1.400
3.	632.015	632.085	पशु अंडरपास	0.070
4.	632.311	632.401	पशु अंडरपास	0.090
5.	632.581	632.671	पशु अंडरपास	0.090
6.	634.600	634.675	पशु अंडरपास	0.075
7.	636.015	636.135	पशु अंडरपास	0.120
8.	643.476	643.976	पशु अंडरपास	0.500
9.	652.350	652.650	पशु अंडरपास	0.300
10.	648.965	649.035	बड़ा पुल	0.070
कुल				3.215

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2020 -21** के लिए मासिक पास की दर **275.00/-**रूपए (दो सौ पचहत्तर रुपये मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 968.25 करोड़ रूपए है। (पूँजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।) प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/2019-20/सिओनी-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4180(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E) dated 26th April, 2002 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 400.544 to kilometer 651.500 (Lakhnadon to Seoni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border Section) of National Highway Number 7 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rule, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 26.075 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 32.15 km (having length of 3.215 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of use of four lane of Mohgaon to Khawasa, Madhya Pradesh/Maharashtra Border Section from design Kilometer 624.480 to kilometer 653.770 (existing Km 624.480 to Km 653.225) of National Highway 7 (New NH-44) in the State of Madhya Pradesh and authorize the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for the net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 651.750 of NH-7 (new NH-44) near village-Khawasa in Seoni District of Madhya Pradesh	26.075 Km (Excluding length of Bypass(costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane,of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor-10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
At Km. 651.750 of NH-7 (new NH-44) near village-Khawasa in Seoni District of Madhya Pradesh	3.215	32.150 Km.	100% for four and more lane,of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km.	To Km.		
1	626.665	627.165	Animal Underpass	0.500
2	630.027	631.427	Animal Underpass	1.400
3	632.015	632.085	Animal Underpass	0.070
4	632.311	632.401	Animal Underpass	0.090
5	632.581	632.671	Animal Underpass	0.090
6	634.600	634.675	Animal Underpass	0.075
7	636.015	636.135	Animal Underpass	0.120
8	643.476	643.976	Animal Underpass	0.500
9	652.350	652.650	Animal Underpass	0.300
10	648.965	649.035	Major Bridge	0.070
			Total	3.215

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five Only) for the Year, 2020-21 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 968.25 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/2019-20/Seoni-MP/MHBorder]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.